बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

पत्रांक–1/PMC/विविध/209/2025 1127 /पटना, दिनांक–06/07/25

जल संसाधन विभाग अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर मिट्टी का कार्य किया जाता है। यह देखा जा रहा है कि बाढ़ अवधि में बाढ़ एवं सिंचाई परिक्षेत्र अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं में स्थायी प्रकृति के कार्यों में मिट्टी का कार्य नहीं किया जा रहा है जिसके कारण योजनाओं में वांछित प्रगति एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत योजना पूर्ण किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है।

2. उपर्युक्त स्थिति में यह आवश्यक पाया गया कि बाढ़ अवधि में मिट्टी कार्य कराये जाने से संबंधित निर्गत परिपत्रों (निगरानी विभाग सहित) एवं अन्य कार्य विभागों में उक्त अवधि में मिट्टी कार्य कराने की परंपरा/पद्धति के संबंध में अध्ययन कर मानसून अवधि के दौरान भी स्थायी प्रकृति का मिट्टी कार्य किये जाने के संबंध में निगरानी विभाग का परामर्श प्राप्त कर निर्णय लिया जाय।

3. उपर्युक्त के आलोक में विभाग द्वारा निगरानी विभाग से परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई की गई। निगरानी विभाग द्वारा उनके पत्रांक–6630 दिनांक–06.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परामर्श दिया गया कि निगरानी विभाग के पत्रांक–2810 दिनांक–25.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में विषयांकित मामलों में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

4. निगरानी विभाग के परामर्श के आलोक में पाया गया कि निगरानी विभाग का पत्रांक–2810 दिनांक–25.07.2019 अस्थायी प्रकृति के मिट्टी कार्य से संबंधित है। जबकि जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव बाढ़ अवधि के दौरान स्थायी प्रकृति के मिट्टी कार्य कराने से संबंधित है।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित शर्तों एवं बंधेजों के साथ जल संसाधन विभाग अंतर्गत मानसून अवधि में स्थायी प्रकृति के कार्यों में मिट्टी का कार्य कराये जाने हेतु

निम्नांकित प्रावधान किया जाता है :-

(i) कराये जाने वाले कार्य का परिच्छेद मापी (Sectional Measurement) किया जाये।

(ii) कार्य में भरे जाने वाली मिट्टी का विशिष्टि अनुरूप संपीडन संभव हो तथा मानसून बाद भी वे कार्य सत्यापन योग्य हो। इस कार्य के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(iii) स्थलीय प्रकृति के अनुसार अगर मिट्टी के कटींग कार्य यथा संरचना निर्माण, सड़क निर्माण कार्य आदि संभव हो तो Pre-level लेते हुए इस कार्य को कराया जा सकता है। इस कार्य के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता 01 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(iv) अत्यावश्यक प्रकृति के मिट्टी /गाद हटाने का कार्य (यथा नहर में उत्पन्न अवरोध जो जलश्राव बाधित करता हो) को छोड़कर किसी प्रकार का गाद हटाई (Desiltation) कार्य नहीं कराये जाने चाहिए।

(v) यदि गाद हटाने से संबंधित उपर्युक्त कंडिका (iv) के अतिरिक्त कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो तो मिट्टी कार्य कराने हेतु विभागीय अनुमोदन आवश्यक होगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0-यथावत्।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/209/2025 117 /पटना, दिनांक–06/02/26

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/209/2025 117 /पटना, दिनांक–06/02/26

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/209/2025 117 /पटना, दिनांक–06/02/26

प्रतिलिपि – सभी अभियंता प्रमुख/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई/काडा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/PMC/विविध/209/2025 117 /पटना, दिनांक–06/02/26

प्रतिलिपि – सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/PMC/विविध/209/2025 117 /पटना, दिनांक-06/02/26

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को ई-मेल करने तथा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/02/26

(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव, (अभियंत्रण)

पत्रांक–5 / निग०जल संसाधन–12 / 2025 ......

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

डेजी ईरानी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार,पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय :– जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, बाढ़ अवधि एवं सिंचाई परिक्षेत्र आदि में बड़े पैमाने पर मिट्टी का कार्य कराने से पूर्व निगरानी विभाग विभाग की सहमति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग की संचिका सं०–1 / PMC/विविध / 209 / 2025, जिसमें दिनांक 30.07.2025 को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय–सह–अध्यक्ष, विशेष समिति की अध्यक्षता में बाढ़ अवधि के दौरान योजनाओं में मिट्टी का कार्य कराने से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही समिति के मंतव्य सहित रक्षित कर उक्त विषय पर अंतिम निर्णय लिये जाने / आदेश निर्गत करने से पूर्व निगरानी विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु पृष्ठांकित की गयी थी।

इस संदर्भ में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें अंकित है कि **"सम्यक् विचारोपरांत समिति का सर्वसम्मत मंतव्य है कि निगरानी विभाग के पत्रांक–2810 दिनांक 25.07.2019 तथा अपर मुख्य सचिव महोदय के उक्त अनुमोदन के आलोक में विषयांकित मामलों में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय स्तर से नियमानुसार निर्णय लेने हेतु निदेशित किया जा सकता है।"** सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय पत्रांक–2810 दिनांक 25.07.2019 की छायाप्रति संलग्न है।

अतः निदेशानुसार, अनुरोध है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विषयांकित मामले में अपने स्तर से नियमानुसार निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना OCT 2025

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना। डायरी सं० ....

प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार पटना मु०प्र०सं० .... दिनांक ....

डायरी सं० .... दिनांक .... मु० अभि० यो० एवं मोनिटरिंग जल संसाधन विभाग, पटना

अधीक्षण अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 डायरी नं० .... दिनांक ....

पत्रांक–परि० सिंचाई–26 / 08......2810......

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
5. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
6. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
7. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
8. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक ......25/7/19......

विषयः– बाढ़ ग्रस्त जिलों में कार्य विभागों द्वारा पूर्व से चलायी जा रही योजनाओं के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन असंख्य योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं में अनियमितताएँ न बरती जायें, इसे सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश/परिपत्र निर्गत है तथा लोक निर्माण संहिता में प्रावधान भी हैं। पहले से की गई व्यवस्थाएँ पर्याप्त तो है, तथापि यह समझा जा रहा है कि कुछ अस्थाई प्रकृति के कार्यों में बाढ़ से ग्रस्त इलाके में मिट्टी के कार्य में ऐसी संभावना होगी कि जो कार्य न भी हुआ हो उसके संबंध में मापी पुस्तिका में मापियाँ दर्ज कर दी जाए और उनके संबंध में भुगतान के लिए विपत्र आदि बाढ़ की अवधि के बाद उपस्थापित की जाए। ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं होगा कि वास्तविक रूप से कराये गये कार्यो का सत्यापन कराया जा सके। ऐसी स्थिति के निवारण के लिए यह विचार किया गया है कि प्रत्येक कार्य विभाग अपने अधीनस्थ कार्य प्रमण्डलों से यह सुनिश्चित करावे कि बाढ़ आने के पूर्व एकरारनामों के तहत तथा विभागीय तौर/अथवा अन्य तौर पर चलायी जा रही योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या थी ?

D:/Suraj/2019/July/Letter

P.T.O

उपरोक्त के संबंध में कार्य विभागों द्वारा बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका–230, 231 बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता की कंडिका–244 से 247 बिहार वित्तीय नियमावली की कंडिका–257 के अनुरूप कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। इससे अनियमित भुगतान एवं मापी पर रोक लगाने में विभाग सक्षम हो सकेगा।

अल्प वर्षा/सुखाड़ की स्थिति होने पर अस्थाई प्रकृति के कार्य (मिट्टी कार्य) के संबंध में नियमानुसार निर्णय विभाग के स्तर से लिया जाए।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए अधीनस्थ पदाधिकारियों को समुचित निर्देश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

25/7/19

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 2810 /पटना, दिनांक : 25/7/19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/7/19

अपर मुख्य सचिव

d/c